

श्रीमान सुन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्त अधिव्य,
उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या ३

संयुक्त,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मिहरी-कैम्प-2, न्यूटाउन कैम्प,
प्रौद्योगिक विभाग, नई दिल्ली ।

विद्या 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 17 जुलाई, 2000

विषय:- संत फिलिप स्कूल अग्रेजी की सी.बी.एस.सी. नई दिल्ली से संयुक्त
के अनुमति प्राप्त प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में ।

संदर्भ,

उपरोक्त विद्या पर संत फिलिप स्कूल के विद्यार्थी हैं कि संत फिलिप
स्कूल अग्रेजी की सी.बी.एस.सी. नई दिल्ली से संयुक्त के अनुमति प्राप्त प्रमाण पत्र
दिए जाने में इस राज्य सरकार की विद्यार्थियों के अधिकारों को ध्यान में रखा
है :-

- 111 विद्यार्थी की संयुक्त सी.बी.एस.सी. का समय-समय पर परीक्षाएं कराया
जायेगा ।
- 120 विद्यार्थी की प्रत्येक तारीख में विद्या शिक्षक द्वारा नार्मल स्कूल में प्रमाण पत्र
130 विद्यार्थी में कम से कम 10 प्रतिशत प्रमाण अनुमति प्राप्त/अनुमति प्राप्त/अनुमति
के संबंध में विद्या के विद्यार्थी रहेंगे और उनके उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा
परिषद द्वारा संयुक्त विद्यार्थी में संयुक्त विद्यार्थी के विद्या विद्यार्थी
संयुक्त में अधिक संयुक्त नहीं विद्या जायेगा ।
- 140 संयुक्त द्वारा राज्य सरकार से विद्या अनुभाग की विद्या नहीं की जायेगी और
यदि पूर्व में विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विद्या विद्या परिषद
के मान्यता प्राप्त है तब यह विद्यार्थी की संयुक्त केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा
परिषद नई दिल्ली के प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष में उस केन्द्रीय
परिषदों की संयुक्त प्राप्त होने की तिथि में उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा
परिषद द्वारा प्रमाण मान्यता तब राज्य सरकार से प्राप्त अनुभाग संयुक्त
संयुक्त हो जायेगा ।
- 150 संयुक्त विद्या की विद्यार्थी संयुक्तों की राज्य सरकार प्राप्त
विद्यार्थी संयुक्तों के विद्यार्थी की अनुमति संयुक्तों तथा अन्य भागों में
संयुक्त संयुक्त तथा अन्य भागों में विद्या जायेगा ।
- 160 विद्यार्थी की विद्या की विद्यार्थी जायेगी और उनके संयुक्त प्राप्त प्राप्त-
संयुक्त उद्देश्य विद्यार्थी के विद्यार्थी के अनुमति संयुक्त का नाम
उपलब्ध कराये जायेगा ।

ATTESTED

621
PRINCIPAL
ST. FIDELIS SCHOOL
TALANAGRI
ALLAHABAD

- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे
उसका उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यार्थी का रिजल्ट नियमित प्रश्न/परिक्षाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त कक्षा में राज्य सरकार के सुव्यवस्थित के बिना कोई परीक्षा/सिद्धान्त
या परीक्षा नहीं किया जायेगा ।

24- उक्त प्रतिलिपि का पालन करना होगा के लिये अधिकारी कोना और यदि
किसी समय यह पता चलता है कि कक्षा द्वारा उक्त प्रतिलिपि का पालन नहीं
किया जा रहा है तबका पालन करने में किसी भी प्रकार की मुश्किल या बाधा
बतानी का रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुरोध प्रमाण पत्र वापस
में लिया जायेगा ।

भारतीय,

। स्वामी सुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव ।

सूचना-संख्या 1934/11/15-7-दृष्टिगत

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- भारतीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा में भेजा जायेगा ।
- 3- शिक्षा विभाग निरीक्षक, अलीगढ़ ।
- 4- निरीक्षक भारतीय विद्यार्थी, उ.प्र., लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, सेंट फिलीप स्कूल, अलीगढ़ ।

आता है,

। स्वामी सुन्दर अग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव ।

ATTESTED


PRINCIPAL
ST. FIDELIS SCHOOL
TALANAGRI
ALIGARH-202004